दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

आर.टी.एस.कालोनी, केन्द्रीय विद्यालय के पास, बिलासपुर – 495004 छत्तीसगढ़

फोन:07752–248108 . ईमेल : rrcbsp@gmail.com

रोजगार सूचना सं.: एसईसीआर / 03 / 2012

प्रकाशन तिथि : 25.08.2012 बन्द होने की तिथि एवं समय : **05.10.2012** को **17.00** बजे।

असाम, मेघालय, मणीपुर, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चांबा जिले के पांगी उप–मंडल, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड्स तथा वे उम्मीदवार जो विदेश में रहते हैं उनके लिए **साधारण डाक** से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय **19.10.2012** के **17.00** बजे तक होगी।

ग्रेड पे ₹ 1800/- के साथ पे बेंड – 1 के पदों में खुली भर्ती

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, आरटीएस कालोनी, केंद्रीय विद्यालय के पास, बिलासपुर – 495004 छत्तीसगढ़, पात्र भारतीय नागरिकों से तथा अन्य ऐसे उम्मीदवारों से जिन्हें, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, बिलासपुर तथा नागपुर मंडलों तथा कारखानों में ₹ 5200-20200 के पे बैंड 1 + ₹ 1800 के ग्रेड पे में निम्नलिखित पदों को भरने के लिए केवल एक तरफ का प्रयोग करते हुए 80 जीएसएम के ए–4 आकार के कागज पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अपेक्षित संलग्नकों के साथ हर तरह से परिपूर्ण आवेदन पत्र **साधारण डाक** से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, आर. टी.एस.कालोनी, केन्द्रीय विद्यालय के पास, बिलासपुर – 495004, छत्तीसगढ़ के पते पर उपरोक्त उल्लिखित तिथि एवं समय तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र को रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, आरटीएस कालोनी, केन्द्रीय विद्यालय के पास, बिलासपुर – 495004, छत्तीसगढ़ के परिसर में रखे गये बॉक्स में अंतिम तिथि एवं समय तक डाला जा सकता है ।

महत्वपूर्ण

उम्मीदवार ध्यान दें कि पदों की भर्ती के लिए समस्त जोनल रेलवे अलग–अलग अधिसूचना जारी कर रही हैं। सभी रेलवे द्वारा लिखित परीक्षा, एक ही अवधि में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसी तरह, लिखित परीक्षा, में योग्य पाए गए उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी रेलवे द्वारा एक साथ एक समान दिनों में आयोजित की जाएगी। किसी विशेष अधिसूचना के प्रतिउत्तर में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार इसे ध्यान में रखे।

क्र	पदों के नाम	विभाग	कुल रिक्तियां								निशक्तजनों के लिए उपयुक्तता	मेडिकल मापदंड
			अजा	अजजा	अपिव	अना	कुल	वीएच	ओएच	एचएच		
1	पोर्टर	परिचालन	34	17	60	113	224	-	-	-	पीडब्ल्यूडी के लिए चिन्हित नहीं	ए-2
2	टीएमओ / खलासी	इंजीनियरिंग	01	01	02	04	08	-	02	-	ओएच, (ओएल, बीएल, ओए) के लिए उपयुक्त	बी-1
3	हेल्पर–।।	सिगनल एवं दूरसंचार,	10	05	17	32	64	05	05	05	वीएच(एलवी), ओएच (ओएल, बीएल, ओए), एचएच के लिए उपयुक्त	बी-1
4	हेल्पर–।।	यांत्रिक,	22	11	40	75	148	03	06	06	वीएच(एलवी), ओएच (ओएल, बीएल, ओए), एचएच के लिए उपयुक्त	बी-1
5	हेल्पर–।।	विद्युत	06	03	11	20	40	03	04	04	वीएच(एलवी), ओएच (ओएल, बीएल, ओए), एचएच के लिए उपयुक्त	बी-1
6	हेल्पर–।।	भंडार	04	02	06	12	24	04	04	04	वीएच(एलवी), ओएच (ओएल, बीएल, ओए), एचएच के लिए उपयुक्त	सी -1
7	ट्रैकमैन	इंजीनियरिंग	232	116	419	783	1550	-	-	-	पीडब्ल्यूडी के लिए चिन्हित नहीं	बी-1
8	हास्पिटल अटेंडेंट / डिस क्लीनर	चिकित्सा	01	00	01	03	05	-	01	-	ओएच, (ओएल, बीएल, ओए) के लिए उपयुक्त	सी -1
9	हेल्पर–।। / हमाल	वाणिज्य	02	01	04	09	16	02	02	02	वीएच (बी, एलवी), ओएच (ओएल), एचएच के लिए उपयुक्त	सी -1
		योग	312	156	560	1051	2079	17	24	21		

नोटः निःशक्तजनों के लिए रिक्तियां पृथक नहीं है वरन रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल हैं। भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 20.12.2011 के का. ज्ञा. सं. 41018/2/2011–स्था (निवास) के अधिसूचना के अनुसार अपिव की रिक्तियों में अल्पसंख्यकों के लिए (4. 5 प्रतिशत) कोटा शामिल है। यह कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 20.12.2011 के द्वारा जारी ज्ञा स 41018/2/2011–स्था (निवास) का भविष्य में किसी भी पुनरीक्षण/संशोधन के अधीन है।

उपयोग किए गए शब्द संक्षेप : अजा–अनुसूचित जाति, अजजा–अनुसूचित जनजाति, अपिव– अन्य पिछड़ा वर्ग, अना–अनारक्षित, **वीएच–विजुअली हैंडीकैप्ड, एचएच–हियरिंग हैंडीकैप्ड, ओएच–आर्थो पेडिकली हैंडीकैप्ड,** बी–ब्लाइंड, एलबी–लो विजन, ओएल–वन लेग, ओए–वन आर्म, बीएल–बोथ लेग्स, ओएएल–वन आर्म वन लेग।

1. पात्रता का मापदंड :

1.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं : उम्मीदवारों के पास 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई की योग्यता या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदन की तिथि को 10वीं/आईटीआई अथवा समकक्ष की अंतिम परीक्षा में शामिल हो रहे तथा/अथवा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईटी) (श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम के मल्टी स्कील ट्रेनिंग पैटर्न के अधीन सफल प्रशिक्षुओं को प्रदत एडवांसड माड्यूल्स के साथ साथ राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/बीबीबीटी भी आईटीआई योग्यता में सम्मिलित है, जिनका क्रियान्वयन, संबंधित ट्रेडों में आईआईटी के सेंटर आफ एक्सीलेंस (सीओई)/माडल के रूप में अपग्रेड करके किया जा रहा है ।

2. आयु सीमा : भर्ती के लिए सामान्य आयु (पूर्ण हुए वर्षो में) 01.01.2013 को 18–33 वर्ष हो। निम्नलिखित विशिष्ट वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट नीचे उल्लिखित है :

(i) अजा/अजजा समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक,

(ii) अपिवर्ग समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष तक,

(iii) 01.01.1980 से 31.12.1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष तक, बशर्ते सुविधा लगातार जारी हो।

(iv) निःशक्तजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए – अना के लिए 10 वर्ष, अपिव के लिए 13 वर्ष तथा अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष।

(v) सेवारत रेलवे कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट– अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष तक रहेगी। बशर्ते कि वे 3 वर्ष की न्यूनतम सेवाएं (एवजी के लिए अवधि भंग अथवा लगातार) की हो।

(vi) रेल संगठन के अर्द्ध–प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने वालों के लिए छूट की सीमा उसके सेवा के बराबर दी जायेगी जो अधिकतम अधिकतम 5 वर्ष तक होगी।

(vii) विधवा, तलाकशुदा महिलाओं तथा ऐसी महिलाओं जो कानूनी रूप से अपने पति से अलग रह रही हों परंतु पुनर्विवाह न किया हो, ऐसी स्थिति में अधिकतम आयुसीमा – अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष होगी।

(viii) कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट एप्रेन्टिसेस की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा, आवेदन कर रहे उन पदों के लिए जिनकी न्यूनतम योग्यता कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट एप्रेन्टिस है, उन्हें एप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 के तहत उनके द्वारा लिए जा रहे अप्रेन्टिस ट्रेनिंग की अवधि तक की छूट रहेगी।

(ix) भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमों के तहत विद्यमान अनुमेय सीमा लागू होगी।

(x) विभिन्न आयु समूहों के लिए उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए। (जिसमें दोनों तारीखें शामिल हैं।)

क्र. स.	आयु समूह	जन्म तिथि इससे पहले न हो			जन्म की अंतिम तिथि सभी के लिए	टिप्पणिया
		अना	अपिव	अजा/अजजा		
1	18 से 33	02.01.1980	02.01.1977	01.01.1975	01.01.1995	पैरा 2 के सब पैरा (iii) से (ix) तक में सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए दर्शाए अनुसार छूट लागू होगी।

2 परीक्षा शुल्क : ;i) ₹ 40/. (चालीस रूपये मात्र) जो सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर –495 004 छत्तीसगढ़ के पक्ष में आहरित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) कम से कम तीन (03) महीने के लिए मान्य अथवा रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) के रूप में देय हो। अन्य किसी भी रूप में परीक्षा शुल्क भेजने पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसे 25.08.2012 के पूर्व जारी किया हुआ नही होना चाहिए। (ii) उम्मीदवारों को भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम तथा पता लिखना चाहिए।

2.1 निम्नलिखित वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान में छूट होगी : (i) अजा/अजजा समुदायों के उम्मीदवार, (ii) महिला उम्मीदवार, (iii) अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार, (iv) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 50,000/- से कम हो, (v) निःशक्त व्यक्ति (vi) भूतपूर्व सैनिक।

2.2 अल्पसंख्यक का अर्थ मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध तथा जोरास्ट्रियन्स (पारसी) है। परीक्षा शुल्क में छूट के दावे के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों का अनुलग्नक.II में उल्लेखित अनुसार ''स्व–घोषणा पत्र'', अनुलग्नक–I में दिए गए प्रारूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। कागजातों के सत्यापन के समय, परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को इस आशय का नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में 'अल्पसंख्यक समुदाय का शपथ पत्र' जमा करना होगा कि वह उपरोक्त कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आता है। कागजातों के सत्यापन के समय यदि घोषणा–पत्र जमा नहीं किए जाते तो उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

2.3 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का अर्थ, ऐसे उम्मीदवार से है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 50,000/- से कम है। ऐसे उम्मीदवारों को, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के लेटर हेड पर अनुलग्नक–III में दिए गए प्रारूप में आय प्रमाण पत्र, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

2.4 निःशक्तजन (Persons with Disabilities - PWD) : निःशक्तजनों के लिए पद की उपयुक्तता प्रत्येक पद के सामने इंगित किए गए हैं। कुछ पदों के मामले में उनके लिए निर्धारित रिक्तियां विशेष रूप से आरक्षित की गई है । ऐसे उम्मीदवार, अपने संबंधित समुदाय, यानि अना/अजा/अजजा/अपिव के लिए चिन्हित रिक्तियों के विरूद्ध सामान्य उम्मीदवार के रूप में उन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसे निःशक्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया हो, भले ही उनके लिए अलग से रिक्तियां चिन्हित न हो।

2.5 निःशक्तों की परिभाषाएं : (ए) दृष्टिहीन : दृष्टिहीनता उस स्थिति से संदर्भित है जहां व्यक्ति निम्नलिखित किसी भी स्थिति में हो, यथाः (i) सम्पूर्ण दृष्टिहीनता, अथवा (ii) सुधार के लेंस सहित बेहतर आंख में 6/60 अथवा 20/200 (Snellen) से अधिक दृष्टि तीक्ष्णता न हो, अथवा (iii) सामने की दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री का कोण या इससे भी खराब हो। (बी) निम्न दृष्टि (Low vision) : 'निम्न या कम दृष्टि वाले व्यक्ति' का अर्थ – इलाज अथवा स्टेंडर्ड रेफ्रेक्टिव करेक्शन के बाद भी देखनं में बाधित व्यक्ति, परंतु जो यथोचित सहायक उपकरण के साथ कार्य को अंजाम देने या योजना बनाने के लिए देखने में सक्षम व्यक्ति।

(सी) श्रवण बाधित (Hearing Impairment) : 'श्रवण बाधित' का अर्थ है– आवृत्तियों के बातचीत के रेंज में बेहतर कानों में साठ डेसिबल या इससे अधिक की हानि। (डी) (i) चलने–फिरने की अक्षमता (Locomotor disability) : 'चलने–फिरने की अक्षमता' का अर्थ है– हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता जिससे कि अंगों की गति बाधित हो अथवा किसी भी तरह का मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy) । (ii) मस्तिष्क पक्षाघात : 'मस्तिष्क पक्षाघात' का अर्थ है– ऐसे व्यक्ति का गैर–प्रगतिशील स्थिति का समूह जो असामान्य यांत्रिक नियंत्रित मुद्रा के द्वारा पहचाना जाता हो जिसकी वजह प्रसव–पूर्व या विकास की शिशु अवधि में हुए मस्तिष्क घात या चोट हो। (iii) सभी तरह के विकलांग व्यक्ति 'चलने फिरने की अक्षमता' अथवा 'मस्तिष्क घात' के वर्ग के अंतर्गत आएंगे। (ई) आरक्षण के लिए अक्षमता की डिग्री : केवल ऐसे व्यक्ति सेवा/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होगें जो संबंधित अक्षमता के 40प्रतिशत से कम ग्रसित न हो। आरक्षण का लाभ पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक–iv में दिए गए प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अक्षमता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। (एफ) अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य गतिशीलता/मस्तिष्क/दृष्टि/श्रवण बाधित, जो भी हो, के निर्धारण के लिए उस विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ (Specialist) होगा। (जी) दृष्टि बाधित उम्मीदवार/वे उम्मीदवार जिनके लिखने की गति मस्तिष्क घात से प्रभावित हो, वे अपने वास्ते, उत्तर लिखने के लिए, लिखने वाले व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। लिखने वाला रखने के लिए उम्मीदवार को अनुलग्नक–v के अनुसार, पहले से रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को उचित रूप से सूचित करना होगा। लिखने वाले की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो पर होगी :– (i) परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को अपने स्वयं के खर्चे पर अपने स्वयं के लिखने वाले का प्रबंध करना होगा। दृष्टि बाधित उम्मीदवारों के साथ शामिल लिखने वाले को अलग से प्रवेश पत्र (Admit Card) जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र में उनके द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित, लिखने वाले का विवरण तथा फोटोग्राफ होगा। (ii) लिखने वाले (Scribe) की शैक्षणिक योग्यता, उस पद के लिए जिसके लिए भर्ती हो रही है, निर्धारित योग्यता से एक ग्रेड (जैसे 10 वी कक्षा से नीचे) नीचे होना चाहिए। (iii) उम्मीदवारों तथा लिखने वाले को भी आवेदन के साथ उपयुक्त घोषणा पत्र (अनुलग्नक– v के अनुसार) देना होगा जिससे यह बात सुनिश्चित हो कि लिखने वाले उपरोक्त दर्शित समस्त निर्दिष्ट योग्यता के मापदंड को पूर्ण करता है। किसी मामले में यदि उन्होंने निर्धारित किसी भी योग्यता के मापदण्ड को पूर्ण नहीं किया है या उक्त बात की वास्तविकता को छुपाया गया है तो परीक्षा परिणाम के बावजूद आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दृष्टिबाधित उम्मीदवार द्वारा लाए गए लिखने वाले पर किसी तरह के गलत आचरण के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा। (एच) सभी एक आंख वाले (काना) उम्मीदवारों तथा दृष्टिबाधित (VH) उम्मीदवारों को जिनके अक्षमता का विजुअल डिग्री 40% से कम हो, दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा तथा उनके लिए लिखने वाला नियुक्त करने का प्रावधान लागू नहीं होगा। (आई) सभी चयनित उम्मीदवारों की, नियुक्ति के समय रेलवे मेडिकल अधिकारियों द्वारा मेडिकल परीक्षा ली जाएगी तथा केवल वहीं

उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र होगें जो भारतीय रेलवे मेडिकल मैन्युअल अथवा कोई अन्य प्रावधान जो हो, उसके अनुसार मेडिकल के मापदंड को पूर्ण करते हों।

नोट– दृष्टिहीन (Visually Impaired) आवेदकों (जिन्होंने लिखने वाले(Scribe) को चुना है) को लिखित परीक्षा की तारीख से दस दिन (10) पहले रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को उसकी/उसके लिखने वाले (Scribe) को बदलने हेतु अनुरोध करने का अतिरिक्त मौका दिया जाता है ताकि आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें। यहां तक की कुछ अनदेखी परिस्थितियों के कारण जैसे डाक देरी आदि के कारण रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर और आवेदक के बीच संचार प्रभावित हो तो इन औपचारिकताओं को रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में एक दिन पहले पूरा किया जाएगा।

3. आवेदन का तरीका :

3.1 उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के अनुलग्नक–I में संलग्न प्रारुप में आवेदन जमा करना चाहिए। आवेदन अच्छी गुणवत्ता वाले ए–4 साइज के बॉड पेपर (80 जीएसएम) में होना चाहिए तथा उस पेपर के केवल एक ही ओर लिखा जाना चाहिए। अखबार की कटिंग को आवेदन के रुप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन उपरोक्त विवरणों के अनुसार सिंगल शीट पर हो। अभ्यर्थी आवेदन प्रारुप को द.पू.म.रे की वेबसाइट **http://www.secr.indianrailways.gov.in** और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट **http://www.rrcbilaspur.org** से भी डाऊनलोड कर सकते हैं। अन्य माध्यमों से, प्रिंट किए गए आवेदन पत्रों का उपयोग करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वह निर्धारित प्रारुप के उपरोक्त विवरणों के अनुसार ही हैं, अन्यथा उन आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

3.2 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र अपनी हस्तलिपि के हिन्दी/अंग्रेजी में केवल नीली या काली बॉल पॉईट से ही भरना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिये जाएंगे। **सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय अंक अर्थात 1, 2, 3... इत्यादि का ही उपयोग करना चाहिए।**

3.3 अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला हाल ही का खींचा हुआ बगैर टोपी एवं सनग्लास वाला पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो (जो आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो) चिपकाना चाहिए। फोटोग्राफ्स की जिरोक्स/स्कैन कॉपी/श्याम एवं श्वेत की अनुमति नहीं है। एक अतिरिक्त वैसा ही रंगीन फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिये तथा फोटोग्राफ के पीछे अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि और रोजगार सूचना संख्या लिखा होना चाहिये। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन पर पुराना/अस्पष्ट /श्याम एवं श्वेत फोटोग्राफ चिपकाने या आवेदन में चिपकाये गये फोटोग्राफ और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक एप्पीयरेंस के बीच भिन्नता पाये जाने पर किसी भी चरण में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उसे अस्वीकार कर सकता है।

3.4 अभ्यर्थी आवेदन पत्र में यथोचित बॉक्स में अपना नमूना हस्ताक्षर अवश्य करें। उन्हें निर्धारित जगह पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाना चाहिए। अंगूठे का निशान स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिये। अंगूठे के निशान की रेखायें स्पष्ट नजर आनी चाहिये।

3.5 अजा/अजजा समुदाय के उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के अनुलग्नक–VI में दिए गए प्रारुप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

3.6 अपिवर्ग के अभ्यर्थियों को इस अधिसूचना के अनुलग्नक–VII में दिए गए प्रारुप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपिवर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को अनुलग्नक–VIII में दिए गए प्रारुप में नॉन–क्रीमी लेयर स्टेटस का स्व–घोषणा पत्र भी संलग्न करना चाहिए, अन्यथा आरक्षित स्थिति के उनके दावे को नहीं माना जाएगा और इस प्रकार के उम्मीदवारों/आवेदन को सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की रिक्तियों के अंतर्गत सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर सामान्य (अनारक्षित) पदों के तहत विचार किया जाएगा।

3.7 ऐसे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे जिन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं में शामिल होने से जीवन भर के लिए पहले से ही वंचित कर दिया गया हो अथवा जिन्हें निर्दिष्ट अवधि, जो अब तक पूर्ण न हुआ हो, के लिए वंचित कर दिया गया हो।

3.8 उम्मीदवार अपना आवेदन पर्याप्त समय पहले भेजें जिससे कि वह अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व इस कार्यालय में पहुंच जाए। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डाक संबंधी किसी प्रकार के विलम्ब अथवा आवेदन की गलत सुपुर्दगी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3.9 **यदि उम्मीदवार आवेदन फार्म हिन्दी में भरता है तब भी उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम (10वीं कक्षा प्रमाण पत्र/विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के अनुसार) पिन कोड सहित पता और नजदीकी रेलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए।**

3.10 उम्मीदवार को अपनी रनिंग हेंडराइटिंग (कैपिटल/स्पेस्ड आउट अक्षरों में नहीं) में अंग्रेजी/हिन्दी में आवेदन के क्रम संख्या 18 में दर्शाये गये पैराग्राफ की कॉपी करनी चाहिए अन्यथा आवेदन प्रपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

3.11 आवेदन प्रपत्र के मद सं. 13 में उम्मीदवार को शरीर पर स्पष्ट नजर आने वाले पहचान के निशान का उल्लेख करना चाहिये, जैसे नाक पर तिल, माथे पर कट मार्क या ठोढ़ी के नीचे निशान आदि। यदि कोई दिखने वाला पहचान चिन्ह नहीं हो तो “निरंक” लिख दें। कॉलम को खाली छोड़े जाने पर आवेदन फॉर्म निरस्त किया जा सकता है।

3.12 उम्मीदवार को अपनी रनिंग हेंडराइटिंग (कैपिटल/स्पेरड आउट अक्षरों में नहीं) में अंग्रेजी/हिंदी में आवेदन फॉर्म के आइटम संख्या 18 में पैराग्राफ के लिए दिये गये जगह को यथासंभव पूर्ण भरना चाहिये अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

4. किसे आवेदन करें:

4.1 आवश्यक कागजात सहित भरे गये आवेदन पर **सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर.टी. एस.कालोनी, केन्द्रीय विद्यालय के पास, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर–495004 (छत्तीसगढ़)** का पता होना चाहिए।

4.2 आवेदन भरे हुए लिफाफे के शीर्ष पर स्पष्ट रुप से **रोजगार सूचना संख्या एसईसीआर/03/2012 के अंतर्गत 'पे बैंड–1.+ ग्रेड पे ₹ 1800/- में पदों की भर्ती के लिए आवेदन",** अवश्य अंकित करें।

4.3 आवेदन को डाक द्वारा इस तरह से भेजे जिससे कि वह इस कार्यालय में उपरोक्त दर्शित अंतिम तिथि एवं समय पर या इसके पूर्व पहुंच जाए। भरे गए आवेदनों को उपरोक्त दर्शित पते पर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के परिसर में इस प्रयोजन के लिए रखे गए पेटियों में अंतिम तिथि एवं समय को या इसके पूर्व डाल सकते हैं ।

5. **केवल एक ही आवेदन :–** प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन भेजना चाहिए। एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं किए जाएंगे। यदि इस तरह के अभ्यर्थी का चयन असावधानीवश हो भी जाता है तो उन्हें बाद में नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

6 चयन का तरीका:

1. भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) तथा मेडिकल परीक्षा शामिल है।
2. पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। समस्त पात्र उम्मीदवारों को तिथि, समय तथा स्थान दर्शाते हुए अलग से सूचना भेजी जाएगी।
3. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): शारीरिक दक्षता परीक्षा(PET) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा यही उसकी वास्तविक अर्हता होगी। पीईटी के लिए मापदंड निम्नानुसार हैः–

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	महिला अभ्यर्थियों के लिए
प्रथम प्रयास में ही 1500 मीटर की दूरी को छः मिनट में दौड़ लगाने में सक्षम होना चाहिए।	प्रथम प्रयास में ही 400 मीटर की दूरी को तीन मिनट में दौड़ लगाने में सक्षम होना चाहिए।

4. केवल उन्ही उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। पात्र उम्मीदवारों को तिथि, समय तथा स्थान दर्शाते हुए अलग से सूचना भेजी जाएगी।
5. उपरोक्त पैरा 2.5 में परिभाषित अनुसार निःशक्तजन पीईटी से मुक्त हैं।
6. लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान/सामान्य जानकारी/गणित/तर्कशक्ति आदि का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु–विकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे।
7. परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। उत्तर का स्क्रिप्ट आप्टिकल मार्क रिकॅगनिशन (OMR) टाइप का होगा तथा मूल्यांकन कम्प्यूटर के माध्यम से होगा।
8. लिखित परीक्षा में नकारात्मक अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत जवाब के लिये प्रत्येक प्रश्न के लिये आबंटित अंकों का 1/3 अंक काटे जायेंगे। सामान्य के लिये अर्हक अंक 40% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 30% होगा।
9. उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेंगे उन्हें 1:3 के अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिये बुलाया जायेगा। सभी पात्र उम्मीदवारों को दिनांक, समय और स्थान बताते हुये अलग से एक बुलावा पत्र भेजा जायेगा।
10. प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, उड़िया तथा उर्दू भाषाओं में दिये जाएंगे। इसमें ऋणात्मक मार्किंग रहेगा।
11. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के समय, अधिसूचित पदों के विभिन्न श्रेणियों तथा डिवीजन/वर्कशाप में पोस्टिंग के लिए भी उम्मीदवारों को अपनी पसंद रखने की अनुमति दी जाएगी।

7. सामान्य शर्तें :

1. आवेदन कर रहे उम्मीदवार निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन जमा करते समय पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं।
2. इस अधिसूचना में दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम है तथा यह प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार घटाई–बढ़ाई जा सकती है।
3. चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कहीं भी की जा सकती है।

4. आरंभिक नियुक्ति पर देय परिलब्धियां पे–बैंड + ग्रेड पे+ अन्य लागू भत्ते के अनुसार बनने वाली न्यूनतम राशि होगी।

5. चयन या नामिका में दर्ज होने मात्र से उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता। भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवारों का प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा बशर्ते वे पात्रता के निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। यदि उम्मीदवार निर्धारित पात्रता की शर्तो को पूरा नहीं कर पाता है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर बिना कोई सूचना दिए निरस्त की जा सकती है।

6. यदि आवश्यक हुआ तो परीक्षाओं के तरीके को बदलने अथवा सभी के लिये या उम्मीदवारों की सीमित संख्या के लिये पुनः पीईटी/पुनः परीक्षा आयोजित करने अथवा किसी भी चरण में भर्ती की किसी भी प्रक्रिया को बिना कारण बताये आंशिक रूप से या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के पास होगा।

7. आवेदन में अनियमितता/कमी पाये जाने पर भर्ती की किसी भी अवस्था में किसी आवेदक की उम्मीदवारी को निरस्त करने का अधिकार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के पास होगा।

8. अर्हता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करने, झूठी जानकारी के लिये जुर्माना, चयन की पद्धति, लिखित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केन्द्र का आबंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन इत्यादि सभी मामलों में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बंधनकारी होगा तथा इस संबंध में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, किसी पूछताछ या पत्र व्यवहार पर विचार नहीं करेगा।

9. विज्ञापन में किसी त्रुटि के लिये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जिम्मेदार नही होगा।

10. क्षति/हानि अथवा परीक्षा शुल्क की वापसी किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी।

11. चिकित्सा परीक्षा : पद के साथ संबद्ध कार्यों के निर्वहन के लिए, उम्मीदवार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों को रेल प्रशासन द्वारा आयोजित आवश्यक मेडिकल फिटनेस टेस्ट (टेस्ट्स) उत्तीर्ण करना होगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव दिए जाएंगे जो चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त हो। इन पदों के लिये परीक्षा (ओं) में उत्तीर्ण मगर निर्धारित चिकित्सा परीक्षा (ओं) में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों पर किसी भी मामले में किसी वैकल्पिक नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा। जो उम्मीदवार निर्धारित चिकित्सा मानदंडों पर पहले उपयुक्त नहीं पाये गये हों, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त चिकित्सा मानदंड (कसौटी) संकेतात्मक है, सम्पूर्ण नहीं है और यह सभी उम्मीदवारों पर लागू होगी।

12. किसी विशिष्ट वर्ग के पद हेतु उच्च चिकित्सा वर्गीकरण के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों पर उनके चिकित्सा अनुपयुक्तता (Unfitness) की स्थिति में निम्नतर चिकित्सा वर्गीकरण के साथ किसी भी वैकल्पिक पदों के लिए विचार नहीं किये जायेंगे।

8. आवेदन के साथ संलग्नक :

(अ) उम्मीदवार नीचे उल्लिखित संबंधित प्रमाणपत्रों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें। मूल प्रमाण पत्र संलग्न न करें। सभी अनुलग्नक सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिये। जहॉ प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं उनका स्वप्रमाणित अनुदित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी) में संलग्न करना चाहिये। अपेक्षित अनुलग्नकों के बिना आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे। अलग से भेजे गये किसी अनुलग्नक पर विचार नहीं किया जायेगा।

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में केवल 10वीं कक्षा या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा।

(ii) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र।

(iii) अजा/अजजा/अपिव समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र ।

(iv) शारीरिक अक्षमता के लिए आरक्षित कोटा के तहत आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र। (अनुलग्नक IV में दिए अनुसार)

(v) दृष्टि विकलांग/सेरेबल प्लसी से प्रभावित वे अभ्यर्थी, जो लेखन गति वाले या परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब लेने वाले हों उनके द्वारा घोषणा पत्र । (अनुलग्नक V में दिए अनुसार)

(vi) आयु में छूट का दावा करने वाली परित्यक्ता/न्यायिक रूप से अलग रह रही महिला उम्मीदवारों के लिए सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री की प्रतिलिपि।

(vii) शुल्क रियायत की चाह रखने वाले आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र।

(viii) शुल्क रियायत की चाह रखने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए स्व–घोषणा पत्र।

(ix) यदि रेलवे या किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत हैं तो सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(x) आयु में किसी अन्य तरह की छूट का चाहने वाले उम्मीदवारों के मामले में अपेक्षित प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट प्रति।

(xi) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को डिस्चार्ज सर्टीफिकेट की स्वप्रमाणित फोटोस्टेट कापी जमा करनी चाहिये। उन्हें अपनी शैक्षिक/तकनीकी अर्हताओं के समरूप के लिये सक्षम प्राधिकारी से जारी उपयुक्त प्रमाणपत्र भी संलग्न करना चाहिये।

(ब) **रोजगार सूचना में निर्धारित राशि के वैध मूल भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट जहां कहीं आवश्यक हो।**

9. अमान्य आवेदन : उम्मीदवारों से अनुरोध है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को अपना आवेदन भेजने से पहले सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें अन्यथा उनके आवेदन निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से निरस्त होने की संभावना है। आवेदन निरस्त होने के मामले में, उम्मीदवार को बिजनेस (साधारण)डाक से निरस्त किये जाने के कारणों के साथ सूचित किया जाएगा।

(i) अधिसूचना की अंतिम तिथि एवं समय के बाद और रोजगार सूचना के जारी करने की तिथि से पहले प्राप्त आवेदन,

(ii) जहां जरूरत हो वहां, पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न होने पर या कम शुल्क संलग्न या अवैध भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट यथा सूचना जारी होने की तिथि से पहले या समाप्ति तिथि के बाद खरीदा गयाभारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट या तीन महीने से कम वैधता के साथ डिमांड ड्राफ्ट

(iii) ऐसे आवेदन जो निर्धारित प्रारूप में न हो अथवा जो किसी भी रूप से अपूर्ण हो,

(iv) ऐसे उम्मीदवार जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न हों अथवा कम आयु/अधिक आयु के हों, जो जन्मतिथि न लिखें हों या गलत भरे हों ।

(v) एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा किया गया हो ।

(vi) नवीनतम कलर फोटो के बगैर आवेदन या फोटो टोपी के साथ, चश्मा पहने, विकृत या ना पहचाना जाने वाला या स्कैन या फोटो स्टेट कापी।

(vii) आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्प्रस्तुत घोषणा पत्र के बिना आवेदन या घोषणा को बड़े अक्षरों (केपिटल लेटर) में लिखा हो।

(viii) ऐसे आवेदन जो बिना हस्ताक्षर के हों अथवा बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर के साथ हो अथवा अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग हस्ताक्षर के साथ आवेदन किया गया हो ।

(ix) आवेदन में बांये हाथ के अंगूठे का निशान न हो अथवा अस्पष्ट/मैला/दाग वाला निशान हो,

(x) पैरा–8 में उल्लिखित आवश्यक संलग्नकों की प्रतियां संलग्न न होने पर,

(xi) एक ही लिफाफा में एक से अधिक आवेदन जमा करने पर,

(xii) ऐसा आवेदन जिस पर **सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर.टी.एस.कालोनी, केन्द्रीय विद्यालय के पास, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर – 495004 (छत्तीसगढ़)** का पता न हो,

(xiii) ऐसा आवेदन जो हिन्दी/अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में भरे गए हों,

(xiv) पहचान के निशान वाला कॉलम नहीं भरा गया हो।

(xv) उम्मीदवार का नाम वंचित सूची में दर्ज हो।

(xvi) आरआरसी द्वारा अवैध माने जाने वाले अन्य अनियमितताएं ।

नोट– ऐसे उम्मीदवार जिनका बांया अंगूठा नहीं है वे दांया अंगूठा या कोई और उंगली का निशान विधिवत् संकेत के साथ लगा सकते हैं।

10. गलत आचरण :

(i) उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय वे ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत न करें जो जाली हो या कोई दस्तावेजी जानकारी को दबाए हुए हो,

(ii) उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने स्वयं के हित के लिए कोई राजनीतिक या अन्य दबाव लाने पर या लाने का प्रयास करने पर ,

(iii) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी भाग में उम्मीदवार द्वारा गलत आचरण पूर्ण निषिद्ध है।

(iv) उपरोक्त प्रयासों में संलग्नता से, किसी भी समय उम्मीदवारी को निरस्त किया जा सकता है,

(v) बनावटी/जाली/हेर–फेर वाले प्रमाण पत्र जमा करने, पीईटी अथवा लिखित परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का उपयोग करने का दोषी पाए जाने वाले, उस स्थान पर जहां पीईटी आयोजित है या लिखित परीक्षा केन्द्रों आदि पर गलत व्यवहार करने का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवारों के विरूद्ध आरआरसी द्वारा आपराधिक कार्रवाई सहित आवश्यक लगने वाला उचित कदम उठाया जाएगा।

(vi) पात्रता सुरक्षित रखने और/या परीक्षा में शामिल होने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा हासिल करने के लिये उम्मीदवार द्वारा किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने या जाली प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र जमा करने से विशेषकर भर्ती, जिसके लिये उसने आवेदन किया है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त वह दो वर्ष की अवधि के लिये देश भर में सभी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा यदि जरूरी हुआ तो कानूनी कार्रवाही भी शुरू की जा सकती है।

(vii)उम्मीदवार को निर्धारित अवधि/आजीवन के लिये सभी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जायेगा यदि (i) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिये एक से अधिक आवेदन जमा करता है (ii) एक ही पद और श्रेणी के लिये विभिन्न समुदाय के साथ एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है (iii) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिये विभिन्न फोटो (फेस) के साथ एक से अधिक आवेदन जमा करता है (iv) उम्मीदवार एक ही पद और श्रेणी के लिये विभिन्न दस्तावेजों के साथ एक से अधिक आवेदन जमा करता है।

(viii) कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुये पाये जाने पर या उसका/उसकी जगह में किसी और को परीक्षा में शामिल करना पाये जाने पर उसे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की परीक्षाओं में शामिल होने

के लिए जीवनभर के लिए वंचित कर दिया जायेगा। उसे रेलवे में किसी भी नियुक्ति से वंचित कर दिया जायेगा। ऐसे उम्मीदवार अभियोजन के लिये भी उत्तरदायी होगें।

(ix) रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को किसी झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या किसी भी स्तर पर जानबूझकर किसी भी जानकारी को छुपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य कर दिया जायेगा और रेलवे या किसी दूसरे सरकारी चयन या नियुक्ति के लिये परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा और यदि सेवा में नियुक्त हो चुके हैं तो ऐसे उम्मीदवारों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

11. सावधान :

(1) रेलवे में नौकरी दिलाने के झूठे आश्वासनों या प्रभाव या अनुचित माध्यम से आपको धोखा देने का प्रयास कर रहे दलालों या ठगों से सावधान रहें। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ने अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए किसी भी एजेंट (ओ) या कोचिंग केन्द्रों को नियुक्ति नहीं किया है। उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किये गये दावों के झांसे में न आयें। उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से मेरिट (Merit) के आधार पर किया जाता है। कृपया अवांछित तत्वों से सावधान रहें तथा उनके झूठे बहकावे में न आएं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाही शुरू की जा सकती है।

(2) उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक द.पू.म.रे की वेबसाइट **http://www.secr.indianrailways.gov.in** और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट **http://www.rrcbilaspur.org** को देखने की सलाह दी जाती है। वे फर्जी बेईमान तत्वों/दलालों द्वारा डाली गयी वेबसाइटों से सावधान रहें।